कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास जिला –महासमुन्द, (छ.ग.)

(दूरभाष एवं फैक्स क्रमांक **07723796849**, E-mail ID- dwcdmahasamund@gmail.com)

"विज्ञापन"

पत्र क्रमांक 185 / मबावि / सा.वि. / 2026–27 महासमुन्द, दिनांक 16 / 06 / 2026

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार योजना के कियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई महासमुन्द में परामर्शदाता (अनारक्षित)– 01 रिक्त पद बाल कल्याण समिति महासमुन्द में सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर (अनारक्षित)– 01 रिक्त पद एवं शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह (बालक) महासमुन्द में परामर्शदाता (अनारक्षित)– 01 रिक्त पद तथा सहायक सह रात्रि चौकीदार (अनुसूचित जनजाति)– 01 रिक्त पद की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर पात्र आवेदको से दिनांक 30 / 06 / 2026 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ.ग.) पिन नं.–493445 में सायं 5:00 बजे तक पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से आवेदन आमंत्रित है। विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	स्थान	पद संख्या	निर्धारित एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन
01	परामर्शदाता	जिला बाल संरक्षण इकाई महासमुन्द	01 अनारक्षित	18536 / –
02	सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	बाल कल्याण समिति महासमुन्द	01 अनारक्षित	11916 / –
03	परामर्शदाता	शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह महासमुन्द	01 अनारक्षित	23170 / –
04	सहायक सह रात्रि चौकीदार (पुरूष)		01 अनुसूचित जनजाति	7944 / –

- उपरोक्त नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम–2012 का नियमन के तहत् होगा।
- विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास महासमुन्द के सूचना पटल पर एवं NIC महासमुन्द की वेबसाईट www.mahasamund.gov.in पर देखी जा सकेगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
महासमुन्द (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास जिला –महासमुन्द, (छ.ग.)
(दूरभाष एवं फैक्स क्रमांक **07723796849**, E-mail ID- dwcdmahasamund@gmail.com)

क्रमांक 184 /मबावि/ICPS/मि.वा./2026–27 महासमुन्द, दिनांक 16 / 06 /2026

"विज्ञापन"

मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति एवं शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह (बालक) महासमुन्द में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति एवं शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह (बालक) महासमुन्द में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति एवं शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह (बालक) के विभिन्न रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 30/06/2026 तक कार्यालयीन समय शाम 5:00 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुन्द में पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित है। विवरण निम्नानुसार है :–

1. जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति एवं शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह (बालक) में रिक्त पदों का विवरण :–

क्र.		पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एक मुश्त संविदा मासिक वेतन (राशि रू. में)
			अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	जिला बाल संरक्षण इकाई	परामर्शदाता	01	0	0	0	01	18536/–
2	बाल कल्याण समिति	सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	0	0	0	01	11916/–
3	शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह	परामर्शदाता	01	0	0	0	01	23170/–
4		सहायक सह रात्रि चौकीदार (पुरुष)	0	01	0	0	01	7944/–
कुल योग			03	01	0	0	04	

2. उपरोक्त पद हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव :–

क्र.	पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय कौशल
01	परामर्शदाता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/जन स्वास्थ्य/काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकार/एनजीओं के साथ काम करने का कम से कम 01 वर्ष अनुभव।	हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान
02	सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष से 12वीं उत्तीर्ण।	हिन्दी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति। अंग्रेजी में 8000 (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferbly) महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में 01 वर्ष का कार्य अनुभव	अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर पर कार्य करने का अनुभव/दक्षता अथवा अंग्रेजी टाईपिंग उत्तीर्ण
03	सहायक सह रात्रि चौकीदार	पांचवी उत्तीर्ण	–	किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी प्रतिष्ठित संस्थान में न्यूनतम 02 वर्ष का चतुर्थ श्रेणी/चौकीदार का कार्यानुभव।	–

क्रमशः .....

Scanned with OKEN Scanner

3. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

4. आयु सीमा –

4.1 सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4.2 सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश लागू होंगे।

4.3 आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण–पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य होगा।

5. **निवास** :– अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

6. पदों हेतु आरक्षण :– संविदा नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

8. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

टीप :– कंडिका–01 एवं 04 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :–

9.1 अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण–पत्र मान्य होंगे।

9.2 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

9.3 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

टीप :– आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी (कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) का निर्णय अंतिम होगा।

10. प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा।

11. नियुक्ति प्राधिकारी :– जिला स्तरीय पदों के लिए जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।

12. अंकीय प्रणाली :– निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार होगी :–

12.1 अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत पर 70 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।

12.2 निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात् प्रत्येक 01 वर्ष के अनुभव पर 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

क्रमशः .....

Scanned with OKEN Scanner

12.3 उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

12.4 व्यक्तिगत साक्षात्कार या कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनो रखा जायेगा वहां कौशल परीक्षा के लिए 10 अंक तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 10 अंक होंगे।

12.5 सहायक सह रात्रि चौकीदार पद हेतु व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 20 अंक निर्धारित होंगे।

12.6 अभ्यर्थियों के प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जावेगी। यदि उम्र भी समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।

13. उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 12 के उप कंडिका 12.1 एवं 12.2 पर प्राप्त कुल अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में से प्रत्येक पद के लिए एक अनुपात पांच (1:5) के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।

13.1 प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जावेगा।

13.2 चयन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों के आधार पर समग्र प्रावीण्य सूची एवं प्रवर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची में अपने प्रवर्ग में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

13.3 प्रत्येक पद के लिये 25 प्रतिशत अथवा 03 जो भी अधिक हो, अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।

14. नियुक्ति की अवधि :–

14.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 03 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि, जो भी पहले हो, की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा।

14.2 जिला बाल संरक्षण इकाई में कार्य की आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में संविदा सेवा अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) द्वारा संविदा अवधि वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा वृद्धि नहीं किये जाने की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

14.3 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बतायें भी सेवा समाप्त की जा सकती है।

14.4 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यस्त कर्मचारियों के संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

14.5 नियुक्ति के पश्चात भी यदि नियुक्ति संबंधी अर्हताओं एवं शर्तों का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

14.6 उपरोक्त समस्त पदों पर नियुक्त कर्मचारी भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत योजना के स्वीकृत पद है तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देश एवं छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र कमांक 2489/239/सा./2023/50 दिनांक 04.10.2023 द्वारा जारी राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ की मानव संसाधन नीति 2023 द्वारा शासित होंगे।

15. आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :–

15.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

क्रमशः .....

Scanned with OKEN Scanner

15.2 प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

15.3 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।

15.4 आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेज़ स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।

15.5 निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

15.6 आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली/गलत पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

15.7 शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह (बालक) में सहायक सह रात्रि चौकीदार पद हेतु केवल पुरूष उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

16. चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।

17. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास महासमुन्द के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट www.mahasamund.gov.in पर देखी जा सकती है।

18. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ई–मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख किया जाये, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके।

टीप :–

1. दस्तावेज़ सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
2. व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
महासमुन्द (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं द्वारा पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर किया जावे जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें।

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी/
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास,
जिला महासमुन्द, (छ.ग.)

01. आवेदित पद का नाम / :– ....
संस्था का नाम (जिला बाल संरक्षण इकाई/शा. बाल सम्प्रेक्षण गृह) :– ....

02. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....
(अंग्रेजी में) :– ....

03. पिता/पति का नाम :– ....

04. स्थायी पता :– ....
....
....

05. पत्र व्यवहार का पता :– ....
....
....
दुरभाष/मोबाईल................................
ईमेल आईडी................................

06. जन्मतिथि (अंको में) :– ....
(शब्दों में) :– ....

07. दिनांक 01.01.2026 को आयु :– .... वर्ष .... माह .... दिन

08. लिंग पुरूष/महिला :– ....

09. जाति/वर्ग (अजा./अजजा./अपिव/सामान्य) :– जाति ....वर्ग ....
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. क्या आवेदक शास./अर्द्ध.शासकीय संस्था में सेवारत् है? :– ....

11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :– ....

12. यदि आप विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :– विवाह तिथि ....
बच्चों की संख्या ....

13. शैक्षणिक योग्यता :– (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	पूर्णांक	प्रप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

Scanned with OKEN Scanner

14. अन्य योग्यता का विवरण :– ....

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :– ....

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण		वेतन	छोड़ने का कारण
			कब से	कब तक		

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक प्रपत्र में संलग्न कर सकते है।

16. अनिवार्य संलग्नों की सूची :–

1. छत्तीसगढ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र।
2. जन्मतिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र।
   (टीप– अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 5वीं निर्धारित होने पर 5वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र)
3. 12वीं की अंकसूची।
4. स्नातक की अंकसूची।
5. स्नातकोत्तर की अंकसूची। (पद अनुरूप आवश्यक होने पर संलग्न करें)
6. 5वीं एवं 8वीं की अंकसूची (पद अनुरूप संलग्न करें)
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र। (पद अनुरूप आवश्यक होने पर संलग्न करें)
8. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।

17. अन्य संलग्नों का विवरण :–

01. ....   02. ....

03. ....   04. ....

05. ....   06. ....

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम ....

–:: घोषणा पत्र ::–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :– ....

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक :– ....

Scanned with OKEN Scanner